तारीख हुकम

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व अपील संख्या 08/2019 अनवान पपीयाराम बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत सुरा चारणान एवं अन्य

नम्बर / तारीख / इस हुकम / तामील मे

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय केरावा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक **03.12.2021** को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय केरावा पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

03.12.2021

पत्रावली राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय केरावा पर पेश हुई। अपीलार्थी अनुउपस्थित। उत्तरदाता अनुउपस्थित। अपीलार्थी का कथन है, कि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 02 से 6 के संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम कनोड़ा पटवार क्षैत्र सुरा तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 2, 73 रकबा 52.18 बीघा भूमि आई हुई है जो अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 से 6 के पैतृक कब्जे काश्त की भूमि है। अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 से 6 के पिता खानू का स्वर्गवास दिनांक 18.03.1972 को हो गया था। खानू के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 09.06.1973 को स्वीकृत कर भरा गया था जो उतरदातागण संख्या 2 के पिता निम्बा व उतरदाता संख्या 3 से 6 के पूर्वज लीला ने हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर मृतक खानू का अपने दोनों को वारिश बताकर नामान्तरकरण निम्बा व लीला दोनो भाईयों के नाम से पारित जबकि अपीलांट जो कि मुतवफी खानू का जायंदा पुत्र होने से खानू की फौतगी के समय अपीलांट भी मुतवफी खानू का प्रथम श्रेणी का वारिश था तथा स्व0 खानू के जांयदा तीन पुत्र अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 के पिता निम्बा व उतरदाता संख्या 03 से 6 के पूर्वज लीला थे जिस कारण खानू की फौतगी का नामान्तरकरण तीनों पुत्रों के नाम से पारित किया जाना था परन्तु उक्त खानू की फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 57 अकेले दोनों पुत्र लीला व निम्बा के नाम से पारित करवा दिया तथा अपीलान्ट का नाम अपने साथ दर्ज नही करवाया गया जबकि खानू की फौतगी के बाद वादग्रस्त भूमि के तीनों पुत्रों 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी में निहित हो गया था। निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उतरदाता संख्या 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 09.06.1973 को निरस्त किया जावें तथा अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 2 से 6 को स्व0 खानू की पैतृक भूमि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

कनोड़ा पटवार क्षेत्र सुरा तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 2, 73 रकबा 52.18 बीघा में खानू पुत्र डूंगरा के स्थान पर अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 6 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने एवं इसी अनुसार नया नामान्तरकरण अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 6 के नाम से पारित किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदाता अनुउपस्थित रहे। तहसीलदार, बाड़मेर से अपील में अंकित तथ्यो के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से जानकारी ली गई। मजमेआम दिनांक 03.12.2021 मे मौजीज लोगो द्वारा बताया गया कि मृतक खातेदार खानू पुत्र डूंगरा के तीन जायंदा पुत्र थे निम्बाराम, लीलाराम व पपीयाराम परन्तु दोनो पुत्रों निम्बाराम, लीलाराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ है। मृतक खातेदार खानू पुत्र डूंगरा के पपीयाराम जायंदा पुत्र होने से उसका नाम खानू की सम्पति मे जोड़ने की मजमेआम द्वारा सहमती जाहिर की गई।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, कुड़ला द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 57 पर पारित आदेश दिनांक 09.06.1973 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर मौजा ग्राम कनोड़ा पटवार क्षैत्र सुरा तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नंबर 2, 73 रकबा 52.18 बीघा में अंकित मृतक खातेदार खानू पुत्र डूंगरा जाति भील के वारिशान के साथ मे अपीलान्ट पपीयाराम (खानूराम का पुत्र), का नाम सहखातेदार के रूप मे अंकित करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर